Estd. 1972

ALL INDIA KENDRIYA VIDYALAYA TEACHERS' ASSOCIATION

(Reg. No. 10296)
DEJURE RECOGNISED BY
KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN, MINISTRY OF HRD, GOVT.OF INDIA

M B AGRAWAL
General Secretary, AIKVTA
&
Leader (Staff Side)JCM(KVS)
09414455832, 09887733117(Mob.)
E-Mail-mbaaikvta@gmail.com

Correspondence Address
42-B Mitra Nagar Colony
Opposite Super King School
Ram Nagar Sodala,
JAIPUR (Raj.)-302019
Web Site :www.aikvtahq.in

S R TIWARI
President, AIKVTA
&
Member (Staff Side) JCM (KVS)
09407000790,
E-Mail-tiwarishriram07@gmail.com

F.01/AIKVTA HQ/GS/2019-21/45 दिनांक: 12.12.2019

प्रति

माननीय श्री रमेश पोखरियाल "निशंक"
मानव संसाधन विकास मंत्री, भारत सरकार
एवं
अध्यक्ष केन्द्रीय विद्यालय संगठन
शास्त्री भवन, नई दिल्ली.

विषय: केन्द्रीय विद्यालय संगठन एवं स्वायत्तशासी संगठनों के कर्मचारियों के कर्मचारियों के माँग-पत्र के संबंध में ।
संदर्भ : F.01/AIKVTA HQ/GS/2019-21/34-दिनांक: 20.11.2019

महोदय,

अखिल भारतीय केन्द्रीय विद्यालय शिक्षक संघ ,मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार एवं केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त एक मात्र संघ है जो कि प्रशासन एवं शिक्षकों के मध्य सकारात्मक तरीके से एक सेतु के रूप में 1972 से कार्य कर रहा है ।

महोदय, केन्द्रीय विद्यालय संगठन के शिक्षक लगातार भारत सरकार एवं केन्द्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा जारी सभी कार्यक्रमों को सफ़ल बनाने में जी तोड़ प्रयास करते हैं एवं सभी योजनाओं को सफ़ल बनाते भी हैं । केन्द्रीय विद्यालय के शिक्षक लगातार बोर्ड की परीक्षाओं में उच्चतर परीक्षा परिणाम भी दे रहें हैं ।

महोदय, शिक्षकों द्वारा सभी क्षेत्रों में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के पश्चात भी केन्द्रीय विद्यालय के शिक्षकों की ज्वलंत माँगों / समस्यायों का निराकरण नहीं किया जा रहा है ।

महोदय, अखिल भारतीय केन्द्रीय विद्यालय शिक्षक संघ के द्वारा समय समय पर विभिन्न स्तरों पर पिछले 4 वर्षों से शिक्षकों एवं छात्रों के हितों की ज्वलंत माँगो के बारे में समाधान के लिए प्रयास किया परन्तु किसी भी स्तर पर संघ की माँगों को प्रभावी तरीके से समाधान का प्रयास नहीं किया ।

महोदय, अखिल भारतीय केन्द्रीय विद्यालय शिक्षक संघ ने अपने पत्रांक F.01/AIKVTA HQ/GS/2019-21/34 दिनांक: 20.11.2019 के द्वारा संघ का माँग-पत्र प्रस्तुत करते हुए संघ की माँगों पर विचार कर समाधान करने का प्रयास किया था, परन्तु प्रशासन द्वारा कोई उचित कार्यवाही न करने के कारण आज दिनांक 12/12/2019 को अखिल भारतीय केन्द्रीय विद्यालय शिक्षक संघ के सदस्यों ने शिक्षकों की माँगें न मानने के विरोध में शैक्षणिक व्यवस्था को सुचारु रुप से चालू रखते हुये काली पट्टी बाँध कर एवं विद्यालयी कार्योपरांत सभी केन्द्रीय विद्यालयों के गेट पर 30 मिनिट का मौन रखा गया । संघ का आपसे पु:न आग्रह है की शिक्षकों की माँगों पर संघ के पदाधिकारियों से वार्ता कर अविलम्ब कार्यवाही एवं समस्या का समाधान करना सुनिश्चित किया जाये ।

अखिल भारतीय केन्द्रीय विद्यालय शिक्षक संघ की प्रमुख माँगें निम्नलिखित हैं :-

1. Modified Assured Career Progression Scheme (MACPS) से संबन्धित

उपर्युक्त विषय के संबन्ध में निवेदन है कि भारत सरकार ने छठवें वेतन आयोग की रिपोर्ट के आधार पर सभी केन्द्रीय कर्मचारियों को Modified Assured Career Progression Scheme (MACPS) का लाभ प्रदान किया । केन्द्रीय विद्यालय संगठन के Board of Governors (BOG) के द्वारा पारित निर्णय के बावजूद मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा केवल गैर शैक्षणिक कर्मचारियों को (Non-Teaching Staff) यंहा तक की माननीय सहायक आयुक्त एवं माननीय उपायुक्त महोदय तक को तो Modified Assured Career Progression Scheme (MACPS) का लाभ प्रदान कर दिया परन्तु शिक्षकों को केन्द्रीय विद्यालय संगठन के बार- बार आग्रह एवं Board of Governors (BOG) के द्वारा MACPS में लिये गये निर्णय के बाद भी आज तक MACPS का लाभ नहीं दिया गया है । महोदय, उक्त संदर्भ में माननीय केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, लखनऊ एवं माननीय केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, कलकत्ता के आदेश के बाद भी शिक्षकों को उक्त का लाभ प्रदान नहीं किया जा रहा है, जबकि स्पेस एवं सैनिक विद्यालयों के शिक्षकों को भी उक्त लाभ दे दिया गया है ।

महोदय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने हर स्तर पर अपने जबाब में तर्क दिया है की Modified Assured Career Progression Scheme (MACPS) का लाभ लेने के लिए Assured Career Progression Scheme (ACPS) का लाभ मिलना जरुरू था क्योंकि केन्द्रीय विद्यालय संगठन में कार्यरत संघ के महासचिव (अखिल भारतीय केन्द्रीय विद्यालय शिक्षक संघ) ने भारत सरकार के द्वारा पांचवें वेतन आयोग की सिफ़ारिस के अनुसार Assured Career Progression Scheme (ACPS) का लाभ लेने से मना कर दिया था इसलिये केन्द्रीय विद्यालय के शिक्षकों को Modified Assured Career Progression Scheme (MACPS) का लाभ प्रदान नहीं किया जा सकता क्योंकि Modified Assured Career Progression Scheme (MACPS) का लाभ लेने के लिए Assured Career Progression Scheme (ACPS) का लाभ लिया जाना जरुरी था ।

महोदय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार का उक्त तथ्य सत्यता एवं वास्तविकता से परे है क्योंकि Assured Career Progression Scheme (ACPS) का लाभ देना या न देना भारत सरकार की नीति का हिस्सा था न कि किसी संघ के कहने पर Assured Career Progression Scheme (ACPS) का निर्णय लिया जाना था ।

महोदय, एक बार यह मान भी लिया जाये कि अखिल भारतीय केन्द्रीय विद्यालय शिक्षक संघ के कहने पर केन्द्रीय विद्यालय के शिक्षकों को Assured Career Progression Scheme (ACPS) का लाभ नहीं दिया गया , परन्तु महोदय, क्या अखिल भारतीय केन्द्रीय विद्यालय शिक्षक संघ का महासचिव इतना पावरफ़ुल हो गया कि उसके कहने या लिखने मात्र से नवोदय विद्यालय एवं रेल्वे स्कूल के शिक्षकों को भी Assured Career Progression Scheme (ACPS) एवं Modified Assured Career Progression Scheme (MACPS) का लाभ प्रदान नहीं किया जाये ।

महोदय, वास्त्विकता यह है कि :-

i. अखिल भारतीय केन्द्रीय विद्यालय शिक्षक संघ के नाम से जिस महासचिव ने लिख कर दिया वह अखिल भारतीय केन्द्रीय विद्यालय शिक्षक संघ का कानूनन महासचिव था ही नहीं ।

ii. Assured Career Progression Scheme (ACPS) का लाभ देना न देना इसका निर्णय केवल भारत सरकार को ही लेना था न की किसी संघ को ।

iii. एक ही विभाग में दो तरह के मापदंड कैसे अपनाये जा सकते कि गैर-शैक्षिक कर्मचारियों को तो Assured Career Progression Scheme (ACPS) का लाभ दे दिया जाये एवं शैक्षिक कर्मचारियों को Assured Career Progression Scheme (ACPS) का लाभ न दिया जावे ।

iv. महोदय, क्या अखिल भारतीय केन्द्रीय विद्यालय शिक्षक संघ के महासचिव के कहने पर या लिख कर देने मात्र से केन्द्रीय विद्यालय के शिक्षकों , नवोदय विद्यालयों के शिक्षकों एवं रेल्वे स्कूल के शिक्षकों के शिक्षकों को भी Assured Career Progression Scheme (ACPS) एवं Modified Assured Career Progression Scheme (MACPS) का लाभ रोका जा सकता है ?

v. यदि अखिल भारतीय केन्द्रीय विद्यालय शिक्षक संघ के महासचिव के कहने से ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार निर्णय लेता है तो वर्तमान में अखिल भारतीय केन्द्रीय विद्यालय शिक्षक संघ के राष्ट्रीय महासचिव के आग्रह करने/ लिख कर देने से क्या केन्द्रीय विद्यालय संगठन एवं मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार केन्द्रीय विद्यालय संगठन के शिक्षकों को पाँचवे एवं छठवें वेतन आयोग की सिफ़ारिसों के अनुरूप Assured Career Progression Scheme (ACPS) एवं Modified Assured Career Progression Scheme (MACPS) का लाभ दे देगा ? यदि हाँ तो राष्ट्रीय महासचिव ये लिख कर देने को तैयार हैं ।

आपसे विनम्र आग्रह कि केन्द्रीय विद्यालय के शिक्षकों को भी, केन्द्रीय विद्यालय संगठन के Board of Governors (BOG) के द्वारा पारित निर्णय के एवं माननीय केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, लखनऊ एवं माननीय केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, कोलकता के आदेश, एवं स्पेस के विद्यालयों एवं सैनिक स्कूल के शिक्षकों को जिस आधार पर Modified Assured Career Progression Scheme (MACPS) का लाभ प्रदान किया गया है उसी प्रकार केन्द्रीय विद्यालय के शिक्षकों को भी Modified Assured Career Progression Scheme (MACPS) का लाभ दिलवाने का प्रयास सुनिश्चित किया जाये ।

2. मृत्यु और सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी और अंतिम पारिवारिक पेंशन सीसीएस (पेंशन) नियम 1972 (Death and Retirement Gratuity and Provisional Family Pension CCS (Pension) Rules 1972) से संबन्धित :-

यह कि केन्द्रीय विद्यालय संगठन मुख्यालय, नई दिल्ली ने अपने पत्रांक एफ़ 110230 (NPS) 2018/KVS(HQ)/P&I/2133 दिनांक 16/05/2019 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय के पत्र दिनांक 22/04/2019 के अनुसार राष्ट्रीय पेंशन योजना {National Pension Scheme(NPS)} के दायरे में आने वाले केन्द्रीय विद्यालय संगठन के सभी कर्मचारियों को मृत्यु और सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी और अंतिम पारिवारिक पेंशन सीसीएस (पेंशन) नियम 1972 (Death and Retirement Gratuity and Provisional Family Pension CCS (Pension) Rules 1972) की राशि दिनांक 30/04/2019 से देय नहीं होगी के आदेश पारित किये थे ।

उक्त आदेश पूर्णरुपेण केन्द्रीय विद्यालय संगठन में कार्यरत कर्मचारियों के विरुद्ध है । उक्त आदेश को वापस लेते हुये शीघ्र ही केन्द्रीय विद्यालय संगठन के सभी कर्मचारियों को मृत्यु और सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी और अनंतिम पारिवारिक पेंशन सीसीएस (पेंशन) नियम 1972 (Death and Retirement Gratuity and Provisional Family Pension CCS (Pension) Rules 1972) का लाभ दिलवाने का प्रयास सुनिश्चित किया जाये ।

3. <u>एनपीएस धारकों को राष्ट्रीय हिस्से का 10% से 14 % हिस्सा दिया जाये ।</u>

4. महिला कर्मियों का शोषण रोका जाये ।

यह कि केन्द्रीय विद्यालयो में कार्यरत महिला कर्मियों का कुछ प्राचार्यों एवं उपायुक्त महोदयों द्वारा लगातार शोषण किया जा रहा है इसे तुरंत प्रभाव से रोका जाये एवं जो प्राचार्य एवं उपायुक्त महोदय भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग सहित केन्द्रीय विद्यालय संगठन से जारी आदेशों की अवहेलना कर रहें है उनके खिलाफ़ नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जावे ।

5. केन्द्रीय कर्मचारी स्वास्थ्य योजना (CGHS) से संबन्धित :-

यह बड़े दुख: की बात है कि केन्द्रीय विद्यालय संगठन के कुछ कर्मचारियों को केन्द्रीय कर्मचारी स्वास्थ्य योजना (CGHS) का लाभ मिल रहा है एवं कुछ को नहीं मिल रहा है। एक ही विभाग में कार्यरत कर्मचारियों पर दोहरे मापदंड अपनाये जा रहे हैं ।

आपसे आग्रह है कि केन्द्रीय विद्यालय संगठन में कार्यरत सभी कर्मचारियों को केन्द्रीय कर्मचारी स्वास्थ्य योजना (CGHS) का लाभ दिलवाने का प्रयास सुनिश्चित किया जाये ।

6. फ़ंड के समाधान से संबन्धित :-

यह कि केन्द्रीय विद्यालय संगठन के कुछ विद्यालय, दूसरे विभागों से प्राप्त फ़ण्ड के अन्तर्गत कार्यरत हैं जिन्हें प्रोजेक्ट विद्यालय कहा जाता है, प्रोजेक्ट विद्यालयों के अन्तर्गत आने वाले कर्मचारियों का वेतन एवं व्यक्तिगत लाभों की राशि का भुगतान प्रोजेक्ट विद्यालयों के महाप्रबंधकों के द्वारा किया जाता है परन्तु प्रोजेक्ट विद्यालयों के महाप्रबंधकों द्वारा समय पर विद्यालयों के कर्मचारियों का वेतन न देना एवं व्यक्तिगत लाभों की राशि का भुगतान समय पर न करना आम बात हो गई है । अभी तक बहुत से प्रोजेक्ट के विद्यालयों को सातवें वेतन आयोग के शेष राशि का भुगतान भी नहीं हुआ है ।

संघ का मत है कि केन्द्रीय विद्यालय में कार्यरत कर्मचारियों का चयन केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने किया है अत: वेतन एव अन्य परिलाभों का भुगतान समय पर प्रदान करना केन्द्रीय विद्यालय संगठन की जिम्मेदारी है, प्रोजेक्ट विद्यालयों के महाप्रबंधकों से जो भी समझोता केन्द्रीय विद्यालय संगठन का हुआ है वह विभाग का आंतरिक मामला है ।

संघ का अनुरोध है कि प्रोजेक्ट विद्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों का वेतन एवं अन्य परिलाभों का भुगतान केन्द्रीय विद्यालय संगठन अपने अन्य कार्यरत कर्मचारियों की तरह स्वयं करना सुनिश्चित किया जाये ।

इसके अतिरिक्त फ़ंड से संबन्धित निम्नलिखित समस्याएं :-

I. यह कि केन्द्रीय विद्यालय के शिक्षकों को एक लम्बें समय से व्यक्तिगत दावों का भुगतान एवं सातवें वेतन आयोग की शेष 25% राशि का भुगतान भी अभी तक नहीं हुआ है ।

II. यह कि केन्द्रीय विद्यालय संगठन मे फ़रवरी 2019 एवं उसके बाद सेवानिवृत्त हुये कर्मचारियों को अभी तक किसी भी प्रकार का सेवानिवृत्त का लाभ (राशि) नहीं मिली है । जबकि सेवानिवृत्त हुये कर्मचारियों को भारत सरकार के नियमानुसार तुरंत सेवानिवृत्त का लाभ (राशि) दिया जाना चाहिये एवं यह उनका मौलिक अधिकार भी है ।

III. यह कि केन्द्रीय विद्यालय संगठन में सेवानिवृत्त हुये कर्मचारियों को Commutation of Pension का लाभ रोक दिया गया है । आपसे आग्रह है कि केन्द्रीय विद्यालय संगठन में कार्यरत सभी कर्मचारियों को सभी शेष राशि का भुगतान समय पर किया जाये । इसके अतिरिक्त वर्तमान में कार्यरत एवं सेवानिवृत्त सभी कर्मचारियों को फ़ंड की कमी के कारण जो शेष राशि रोकी गई है उसका अविलम्ब भुगतान सुनिश्चित किया जाये ।

7. <u>पदोन्नति से संबन्धित</u>

यह कि केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने केवल शिक्षकों की पदोन्नति प्राथमिक शिक्षक से प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक एवं प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक से स्नातकोत्तर शिक्षक पर डीपीसी का लाभ बंद कर दिया, जिसके कारण वरिष्ठ शिक्षकों को पदोन्नति का लाभ नहीं मिल पा रहा है ।

महोदय, संगठन 5-5 वर्ष के अन्तराल पर सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा (LDCE) का आयोजन कर शिक्षकों को पदोन्नत कर रहा है, जिसके कारण वरिष्ठता सहित आर्थिक नुकसान भी शिक्षकों को हो रहा है ।

आपसे अनुरोध है कि शिक्षकों की पदोन्नति 25% डीपीसी एवं 25% सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा (LDCE) के द्वारा कराई जाए तो वरिष्ठ एव कनिष्ठ दोनों ही तरह के शिक्षक लाभान्वित हो सकेंगें । इसी के साथ-साथ सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा (LDCE) की परीक्षा प्रतिवर्ष आयोजित की जावे जिससे की शिक्षकों को वरिष्ठता सहित आर्थिक नुकसान न हो ।

महोदय, केन्द्रीय विद्यालय संगठन में कुछ पद ऐसे भी हैं जिनको सेवानिवृत्त तक कोई भी किसी भी प्रकार का पदोन्नति का लाभ नहीं मिलता जैसे की TGT(P&HE), TGT(AE), TGT(WE), LIBRARIAN, PRT(MUSIC) & HM.

आप से आग्रह कि उक्त श्रेणी के शिक्षकों को भी पदोन्नति का लाभ मिल सके इस संबध पदोन्नति नियमों में सशोधन किया जावे जिससे कि उक्त श्रेणी के शिक्षकों को भी पदोउन्नति का लाभ मिल सके ।

8. <u>सीपीएफ़ से जीपीएफ़ में रुपांतरण करने आग्रह :-</u>

यह कि केन्द्रीय विद्यालय संगठन में बहुत कम ऐसे कर्मचारी बचे है जिनका सीपीएफ़ से जीपीएफ़ में रुपांतरण होना है , विभिन्न न्यायालयों के आदेश के बाद भी केवल व्यक्तिगत रुप से न्यायालय से आदेश लाने वाले कर्मचारियों को ही उक्त लाभ प्रदान किया गया जा रहा है जबकि माननीय उच्चतम न्यायालय ने कई केसों में स्पष्ट: कहा है कि यदि किसी कर्मचारी को किसी केस में व्यक्तिगत रुप से लाभ मिल गया है एवं सरकार एवं विभाग ने उसे मानकर न्यायालय द्वारा पारित लाभ प्रदान कर दियें हैं तो अन्य सभी को मात्र प्रतिवेदन देने के आधर पर ही वह सभी लाभ प्रदान कर दियें जायें जो व्यक्ति विशेष को न्यायलय के आदेश के बाद प्रदान किए गये थे, अन्य सभी को बार-बार न्यायालय मे जाने के लिये बाध्य न किया जावे ।

आपसे अनुरोध है की ऐसे कर्मचारियों को जिनका सीपीएफ़ से जीपीएफ़ में रुपांतरण होना बाकी है को उक्त लाभ दिलवाने का प्रयास सुनिश्चित किया जाये ।

9. <u>कर्मचारियों को तदर्थ बोनस की लाभ दिलवाने के संबन्घ में :-</u>

यह कि केन्द्रीय विद्यालय संगठन एवं भारत सरकार ने पिछले चार वर्षों से कर्मचारियों को तदर्थ बोनस का लाभ रोक रखा है । आपसे आग्रह है कि उक्त रोके गए तदर्थ बोनस का लाभ केन्द्रीय विद्यालय संगठन में कार्यरत कर्मचारियों को दिलवाने का श्रम करें ।

10. <u>राष्ट्रीय पुरस्कार विजेताओं की सेवाओं के विस्तार के संबन्ध में</u>

यह कि केन्द्रीय विद्यालय संगठन में सत्र 2017 तक राष्ट्रीय पुरस्कार विजेताओं को दो वर्ष की सेवा का विस्तार मिलता था जिसे केवल केन्द्रीय विद्यालय ने बंद कर दिया है । आपसे आग्रह है की राष्ट्रीय पुरस्कार

विजेताओं के सम्मान को बनाये रखने के लिए दो वर्ष के सेवा विस्तार का लाभ पुन: शुरु किया जाने संबन्धि का लाभ दिलवाने का प्रयास सुनिश्चित किया जाये ।

11. <u>शिक्षकों को चयनित वेतनमान का लाभ समय पर प्रदान किये जाने का आग्रह :-</u>

यह कि केन्द्रीय विद्यालय संगठन में 12 वर्ष की सेवा के पश्चात वरिष्ठ वेतनमान एवं 24 वर्ष की सेवाकाल के पश्चात चयनित वेतनमान का लाभ प्रदान किया जाता है परन्तु काफ़ी लम्बें अर्से से बहुत से शिक्षकों को 24 वर्ष की सेवाकाल के पश्चात मिलने वाले चयनित वेतनमान का लाभ नही मिल रहा है ।

आपसे अनुरोध है कि सभी प्रकार के अवरोधों को हटाते हुए सभी शिक्षकों को 24 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण होने पर चयनित वेतनमान का दिलवाने का प्रयास सुनिश्चित किया जाये ।

12. <u>प्राथमिक शिक्षकों एवं अन्य शिक्षकों को उच्चतर वेतनमान का लाभ प्रदान करना ।</u>

13. <u>वार्षिक स्थानान्तरण नीत में बदलाव के संबन्ध में आग्रह :-</u>

यह कि केन्द्रीय विद्यालय संगठन की वर्तमान स्थानान्तरण पालिसी तर्क संगत नहीं है इस स्थानान्तरण नीति के अनुसार एक बार स्वयं के प्रार्थना पर स्थानान्त्रण होने पर पुन: स्थानान्तरण पर 10 वर्ष की बाध्यता, जोनल स्थानान्तरण नीति में बदलाव एवं अन्य बहुत से मुद्दे हैं जिन पर विचार करने की जरुरत है, आपसे आग्रह की भारत सरकार के कार्मिक विभाग की स्थानान्तरण नीति के अनुसार एक पालिसी बनाई जावे एवं स्थानानतरण गाईड लाईन जैसी प्रथा को बंद कर स्थाई स्थानान्तरण पालिसी बनाने का प्रयास सुनिश्चित किया जाये ।

14. **<u>केन्द्रीय विदयालय संगठन मख्यालय एवं संभागीय कार्यालय में माननीय आयक्त एवं संभागीय उपायुक्त से विजीटिंग समय में मुलाकात सुनिश्चित करने आग्रह :-</u>**

यह कि केन्द्रीय विद्यालय संगठन मुख्यालय एवं संभागीय कार्यालय में मुलाकात के लिये निर्धारित समय में माननीय आयुक्त महोदय एव संभागीय उपायुक्त महोदय से मुलाकात सुनिश्चित की जावे एवं मुलाकात के लिए पूर्व में समय मांगने की तरीके को बंद किया जावे एवं यदि किसी दिन माननीय आयुक्त

महोदय एवं संभागीय उपायुक्त महोदय कार्यालय में उपलब्ध न होने की स्थिति में पूर्व में ही बेव -साईट पर सुचना अपलोड की जावे जिससे की बाहर से आने वाले केन्द्रीय विद्यालय के कर्मचारी परेशान न हो ।

15. राष्ट्रीय संयुक्त परामर्शदात्री तन्त्र एवं संभागीय परामर्शदात्री तन्त्र की मीटिंग समय पर सम्पन्न हो यह सुनिश्चित किया जावे का आग्रह ।

16. संघ द्वारा प्रेषित पत्रों पर समय पर कार्यवाही एवं जवाब सुनिश्चित किए जाने का आग्रह ।

17. केन्द्रीय विद्यालय भोपाल संभाग एवं केन्द्रीय विद्यालय कोलकता संभाग के माननीय उपायुक्तो द्वारा शिक्षक विरोधी कार्यों में लिप्त होने जैसी गतिविधियों पर रोक लगाये जाने का आग्रह ।

18. शिक्षक-छात्र अनुपात का निर्धारण आर टी ई एक्ट के आधार पर सुनिश्चित किया जावे ।

महोदय, संघ की उक्त माँगों के अतिरिक्त "INDIAN PUBLIC SERVICE EMPLOYEES' FEDERATION (IPSEF)" के द्वारा दिनांक 28/10/2019 को माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेन्द्र मोदी जी को प्रेषित पत्र की सभी माँगों का भी संघ पुर्ण समर्थन करता है । ये सभी माँगें भी अखिल भारतीय केन्द्रीय विद्यालय शिक्षक संघ के माँग पत्र का हिस्सा होगी ।

उक्त मांग पत्र की मुख्य माँग

- **" नई पेंशन स्कीम-2004 (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली) को वापस लेना एव पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करने का भी अखिल भारतीय केन्द्रीय विद्यालय शिक्षक संघ पुरजोर समर्थन करते हुए केन्द्रीय विद्यालय के शिक्षकों को भी पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करने की माँग करता है ।"**

महोदय उक्त माँगों के संबन्ध में अखिल भारतीय केन्द्रीय विद्यालय शिक्षक संघ के द्वारा समय समय पर विभिन्न स्तरों पर पिछले 4 वर्षों से लगातार प्रयास करने के बाद भी केन्द्रीय विद्यालय संगठन एवं भारत सरकार द्वारा सकारात्मक कार्यवाही न किए जाने के कारण संघ, INDIAN PUBLIC SERVICE EMPLOYEES'FEDERATION"-IPSEF के द्वारा आयोजित स्वायत्तशासी संगठनों के कर्मचारियों की माँगे न माने जाने के विरोध क में दिनांक 12/12/2019 को देश भर में किये जाने वाले जिला-स्तरीय विरोध प्रदर्शन एवं आन्दोलन का भी समर्थन करता हैं ।

अखिल भारतीय केन्द्रीय विद्यालय शिक्षक संघ के दिनांक 12/12/2019 के प्रथम चरण का आन्दोलन पूर्ण रुपेण शान्तिप्रिय एवं दिनांक 20/11/2019 को केन्द्रीय विद्यालय संगठन मुख्यालय नई दिल्ली को प्रेषित माँगपत्र के अनुसार गांधी वादी विचार धारा पर किया गया ।

सधन्यवाद ।

श्रीराम तिवारी
अध्यक्ष (अ भा के वि शि संघ)
एवं
सदस्य (स्टाफ़ साइड) जेसीएम, केविएस

मुकुट बिहारी अग्रवाल
महासचिव (अ भा के वि शि संघ)
एवं
लीडर(स्टाफ़साइड) जेसीएम, केविएस

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू :-

1. **माननीय पी.एस.महोदय, मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय मंत्री एवं अध्यक्ष, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली ।**
2. **माननीय Secretary (Additional Charge) (D/o School Education and Literacy) ।**
3. **माननीय Special Secretary (SE) & Vice Chairperson, KVS, 116-C, Shastri Bhawan New Delhi.**
4. **माननीय आयुक्त केन्द्रीय विद्यालय संगठन नई दिल्ली ।**
5. **माननीय सयुक्त आयुक्त (कार्मिक) केन्द्रीय विद्यालय संगठन नई दिल्ली ।**

संलग्नक :- उपरोक्तानुसार (INDIAN PUBLIC SERVICE EMPLOYEES'FEDERATION"-IPSEF का माँग पत्र की प्रति